



**Musafir Ki
Namaz (Hindi)**

मुस्ताफ़िर की नमाज़

शैखे त्रीकृत, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, हज़रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल

मुहम्मद इल्यास डॉक्टर क़ादिरी २-ज़वी دامت برکاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْكَانِيَةُ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ دِينِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

किताब पढ़ने की दुआ

अज़ : शैखे तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अंतार क़ादिरी र-ज़बी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَّةُ

दीनी किताब या इस्लामी सबक पढ़ने से पहले जैल में दी हुई दुआ पढ़ लीजिये إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِأَفْلَلِ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। दुआ ये है :

اللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْأَكْرَامِ

तरजमा : ऐ अल्लाह ! ! ! غَرَّدْ جَل हम पर इल्मो हिक्मत के दरवाजे खोल दे और हम पर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ-ज़मत और बुजुर्गी वाले । (المُسْطَرَّفُ ج ١ ص ٤٠ دارالفنون بيروت)

नोट : अब्बल आखिर एक एक बार दुरूद शारीफ पढ़ लीजिये ।

तःलिबे ग़मे मदीना
व ब़कीअ
व मरिफ़त
13 शब्बालुल मुकर्रम 1428 हि.

मुसाफिर की नमाज़

येह रिसाला (मुसाफिर की नमाज़)

शैखे तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अंतार क़ादिरी र-ज़बी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَّةُ ने उर्दू ज़बान में तहरीर फ़रमाया है ।

मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को हिन्दी रस्मुल ख़त में तरीब दे कर पेश किया है और मक-त-बतुल मदीना से शाएअ़ करवाया है । इस में अगर किसी जगह कमी बेशी पाएं तो मजलिसे तराजिम को (ब ज़रीअ़ अक्तूब, ई-मेइल या SMS) मुत्तलअ़ फ़रमा कर सवाब कमाइये ।

राबिता : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी)

मक-त-बतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद

के सामने, तीन दरवाज़ा, अहमदाबाद-1, गुजरात

MO. 9374031409 E-mail : translationmktbhind@dawateislami.net

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

۷ مُسَاوِفِرَ كَيْ نَمَاجِ (ہـ نَفَرَ)

بَارَاهِ كَرَم ! يَهُ رِسَالَةُ (۱۷ سَفَهَاتٍ) مُكَمَّلَةٌ پَدِلَ
لَيْجِيَهُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ، إِسَ کَے فَوَادِ خُودِ ہی دِخَلَ لَے گے ।

دُرْرُدَ شَارِفَ کَيْ فَجَّيْلَتَ

سَرَّوَرَ جِيَشَانَ، مَهْبُوبَ رَهْمَانَ کَا فَرَمَانَے
مَغِيرَتَ نِيشَانَ ہے : “جَبْ جُومُعَارَاتَ کَا دِنَ آتَا ہے اَللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ
فِيرِشَتَوں کَوْ بَهْجَتا ہے جِنَ کَے پَاسْ چَانِدِیَ کَے کَاغِذَ اُور سَوَنَے کَے کُلَّمَ ہوتَے
ہےں ہُوَہ لِیخَتَے ہےں، کَوْنَ یَوْمَے جُومُعَارَاتَ اُور شَبَے جُومُعَاءُ مُعَذَّبَ پَر كَسَرَتَ
سَے دُرْرَدَ پَاكَ پَدِلتَ ہے ।” (ابِن عَسَکِرَجَ ۴۳ صَ ۱۴۲)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلُّوا عَلَى مُحَمَّدِ

اَللّٰهُ تَعَالَى تَبَّا-ر-کَ وَ تَأَلَّا سُو-رَتُونِسَاَعَ کَی آيَتَ
نَمَّبَر 101 مَے اِرشَادَ فَرَمَاتَ ہے :

وَإِذَا صَرَبْتُمْ فِي الْأَسْرِاضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ
خَفْتُمْ أَنْ يَقْتَنِسُوكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنَّ الْكُفَّارِيْنَ كَلُّهُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

تَر-ج-مَاءَ کَنْجُولَ اِيمَانَ : اُور
جَبْ تُوَمَ جِمِيَنَ مَے سَفَرَ کَرَوَ تَوْ تُوَمَ
پَر غُونَاہ نَہَیں کِی بَا'جَ نَمَاجِ کَسَرَ
سَے پَدِلَوَ، اَغَرَ تُوَمَوْ اَنَدَشَا ہوَ کِی
کَافِرَ تُوَمَوْ اِجَزا دَے گَے، بَشَکَ کُوپَھَارَ
تُوَمَہَارَ خُولَے دُوشَمَنَ ہےں ।

फ़रमाने مُسْتَفْعِلٌ عَلَيْهِ وَالْمُوَسَّلٌ : جिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह उर्जूज़ उस पर दस रहमतें भेजता है। (مسلم)

अब तो अम्न है फिर भी क़स्र क्यूं ?

सदरुल अफ़ाज़िल हज़रते अल्लामा मौलाना सच्चिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْهَادِي फ़रमाते हैं : खौफे कुफ़्फ़ार क़स्र के लिये शर्त नहीं। हज़रते (सच्चिदुना) या'ला बिन उमय्या رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ने हज़रते (सच्चिदुना) उमर رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से अर्ज की, कि हम तो अम्न में हैं, फिर हम क्यूं क़स्र करते हैं ? फ़रमाया : इस का मुझे भी तअ्ज्जुब हुवा था तो मैं ने सच्चिदे आलम صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْمُوَسَّلٌ से दरयापूत किया। हुजूरे अकरम صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْمُوَسَّلٌ ने इशाद फ़रमाया : तुम्हारे लिये ये ह अल्लाह की तरफ से स-दक़ा है तुम उस का स-दक़ा कबूल करो।

(مُسْلِم ص ٣٤٧ حديث ٦٨٦)

पहले चार नहीं बल्कि दो रक़अ़तें ही फ़र्ज़ की गई

उम्मुल मुअमिनीन हज़रते सच्चि-दतुना आइशा सिद्दीक़ा रिवायत फ़रमाती हैं : नमाज़ दो रक़अ़त फ़र्ज़ की गई फिर जब सरकारे मदीना صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْمُوَسَّلٌ ने हिजरत फ़रमाई तो चार फ़र्ज़ की गई और सफ़र की नमाज़ उसी पहले फ़र्ज़ पर छोड़ी गई।

(بخاري ج ٢ ص ٦٠٤ حديث ٣٩٣٥)

हज़रते सच्चिदुना अब्दुल्लाह बिन अब्बास رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا और हज़रते सच्चिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रिवायत है, अल्लाह के हबीब, हबीबे लबीब صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْمُوَسَّلٌ ने नमाजे सफ़र की दो रक़अ़तें मुकर्रर फ़रमाई और ये ह पूरी है कम नहीं। (ابن ماجہ ج ٢ ص ٥٦ حديث ١١٩٤) या'नी अगर्चे ब ज़ाहिर दो रक़अ़तें कम हो गई मगर सवाब में दो ही चार के बराबर हैं।

फरमाने मुस्तका : ﷺ عَلَيْهِ السَّلَامُ : उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा ज़िक्र हो और वोह मुझ पर दुर्लभे पाक न पढ़े । (ترمذی)

शर-ई सफ़र की मसाफ़त (फ़ासिला)

शरअन मुसाफिर वोह शख्स है जो तीन दिन के फ़ासिले तक जाने के इरादे से अपने मकामे इकामत म-सलन शहर या गाड़ से बाहर हो गया । खुशकी में सफ़र पर तीन दिन की मसाफ़त से मुराद साढ़े सत्तावन मील (तक़ीबन 92 किलो मीटर) का फ़ासिला है ।

(फ़तवा र-ज़्विय्या मुखर्जा, जि. 8, स. 243, 270, बहरे शरीअत, जि. 1, स. 740, 741)

मुसाफिर कब होगा ?

महूज़ नियते सफ़र से मुसाफिर न होगा बल्कि मुसाफिर का हुक्म उस वक्त है कि बस्ती की आबादी से बाहर हो जाए, शहर में है तो शहर से, गाड़ में है तो गाड़ से और शहर वाले के लिये ये ही ज़रूरी है कि शहर के आस पास जो आबादी शहर से मुक्तसिल ('या'नी मिली हुई) है उस से भी बाहर आ जाए । (دِرْمُخْتَار وَرَدُّ الْمُحْتَار ج٢ ص٢٢٢)

आबादी ख़त्म होने का मतलब

आबादी से बाहर होने से मुराद ये है कि जिधर जा रहा है उस तरफ़ आबादी ख़त्म हो जाए अगर्चे उस की महाज़ात (म-सलन उस की किसी और सम्त) में दूसरी तरफ़ ख़त्म न हुई हो । (فَنِيهٌ مِّنْهُ)

फ़िनाए शहर की तारीफ़

फ़िनाए शहर से जो गाड़ मुक्तसिल ('या'नी मिला हुवा) है शहर वाले के लिये उस गाड़ से बाहर हो जाना ज़रूरी नहीं, यूँही शहर के मुक्तसिल ('या'नी मिले हुए) बाग़ हों अगर्चे उन के निगहबान और काम

फरमाने मुस्तफ़ा ﷺ : جو مुझ पर दस मरतबा दुरुदे पाक पढ़े अल्लाह عَزَّوَجَلَّ उस पर सो रहमतें
नाजिल फ़रमाता है। (طبراني)

करने वाले उन बाग़ात ही में रहते हों, उन बाग़ों से निकल जाना ज़रूरी नहीं। फ़िनाए शहर या'नी शहर से बाहर जो जगह शहर के कामों के लिये हो म-सलन कृब्रिस्तान, घोड़दौड़ का मैदान, कूड़ा फेंकने की जगह अगर येह शहर से मुत्तसिल (या'नी मिले हुए) हों तो उस से बाहर हो जाना ज़रूरी है और अगर शहर व फ़िना के दरमियान फ़ासिला हो तो नहीं।

(رَدُّ الْمُحتارِ ج٢ ص٢٢٢)

मुसाफ़िर बनने के लिये शर्तः

सफ़र के लिये येह भी ज़रूरी है कि जहां से चला वहां से तीन दिन की राह (या'नी तक़रीबन 92 किलो मीटर) का इरादा हो और अगर दो दिन की राह (या'नी 92 किलो मीटर से कम) के इरादे से निकला वहां पहुंच कर दूसरी जगह का इरादा हुवा कि वोह भी तीन दिन (92 किलो मीटर) से कम का रास्ता है यूंही सारी दुन्या घूम कर आए मुसाफ़िर नहीं। (رَدُّ الْمُحتارِ ج٢ ص٢٣٧، ٢٤٠)

येह भी शर्त है कि तीन दिन की राह के सफ़र का मुत्तसिल (या'नी पै दर पै, लगातार) इरादा हो, अगर यूं इरादा किया कि म-सलन दो दिन की राह पर पहुंच कर कुछ काम करना है वोह कर के फिर एक दिन की राह जाऊंगा तो येह तीन दिन की राह का मुत्तसिल (या'नी लगातार) इरादा न हुवा मुसाफ़िर न हुवा।

(बहारे शरीअत्, جि. 1, س. 743)

शर-ई सफ़र की मिक्दार और सिटी सेन्टर

येह बात ज़ेहन में रहे कि शहर की आबादी ख़त्म होने के बाद मसाफ़त (या'नी फ़ासिले) की मिक्दार देखी जाएगी। आज कल वस्ते

फरमाने मुस्तफ़ा : ﷺ : جس کے پاس مera جیک hua اور us ne muja पar duरde paak n pda تاہک़ीک وोh bad بخٹ hо gya (ابن سعی)

शहर (City Centre) से फ़ासिले की पैमाइश होती है जो कि “शर-ई-सफ़र” के लिये नाकाफ़ी है। म-सलन (ता दमे तहरीर 2017 सि.ई.) बाबुल मदीना (कराची) की पैमाइश सिविक सेन्टर (Civic Centre) से की जाती है, लिहाज़ा सफ़र करने वालों को चाहिये कि हमेशा मुत्तसिल (या'नी मिली हुई) आबादी के इख़िताम (End) का लिहाज़ अपने सामने रखें और दो बातें मज़ीद ज़ेहन में रखें, एक येह कि ज़रूरी नहीं कि एक मर्तबा सफ़र के दौरान जहां शहर की आबादी ख़त्म हुई थी तीन साल बा'द भी वोही हृद हो कि बड़ी तेज़ी से आबादी के फैलाव की वज्ह से तीन साल में ही शहर कहां से कहां पहुंच जाता है। दूसरी बात येह कि शहर की जिस सम्त से निकलना है उसी सम्त की आबादी का ए'तिबार होगा म-सलन कराची से टोल प्लाज़ा के रास्ते में आबादी का इख़िताम (End) और जगह होता है जब कि ठड़ा की तरफ़ आबादी का इख़िताम (End) और जगह होगा कि दोनों सम्तें मुख्तालिफ़ हैं।

वत्न की क़िस्में

वत्न की दो क़िस्में हैं : 《1》 वत्ने अस्ली : या'नी वोह जगह जहां इस की पैदाइश हुई है या इस के घर के लोग वहां रहते हैं या वहां सुकूनत (या'नी रिहाइश इख़िताम) कर ली और येह इरादा है कि यहां से न जाएगा 《2》 वत्ने इक़ामत : या'नी वोह जगह कि मुसाफिर ने पन्दरह दिन या इस से ज़ियादा ठहरने का वहां इरादा किया हो।

(عالگیری ج ۱ ص ۱۴۲)

फरमाने मुस्तका : حَلَّ اللَّهُكُلَّ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنُ
के दिन मेरी शफ़ाअूत मिलेगी । (جُمِعُ الزوَافِ)

वतने इकामत बातिल होने की सूरतें

वतने इकामत दूसरे वतने इकामत को बातिल कर देता है या'नी एक जगह पन्दरह दिन के इरादे से ठहरा फिर दूसरी जगह इतने ही दिन के इरादे से ठहरा तो पहली जगह अब वतन न रही । दोनों के दरमियान मसाफ़ते सफ़र हो या न हो । यूंही वतने इकामत वतने अस्ली और सफ़र से बातिल हो जाता है । (٧٣٩ ص ٢١ مُختار ج ٢، بहारे शरीअूत, जि. 1, स. 751)

सफ़र के दो रास्ते

किसी जगह जाने के दो रास्ते हैं एक से मसाफ़ते सफ़र है दूसरे से नहीं तो जिस रास्ते से ये ह जाएगा उस का ए'तिबार है, नज़्दीक वाले रास्ते से गया तो मुसाफिर नहीं और दूर वाले से गया तो है अगर्चे उस रास्ते के इख़ियार करने में उस की कोई ग़-रज़े सहीह न हो ।

(عالِمِيَّرِي ج ١ ص ١٣٨، دُرِّ مُختار وَدُرِّ الْمُختار ج ٢ ص ٧٢٦)

मुसाफिर कब तक मुसाफिर है

मुसाफिर उस वक्त तक मुसाफिर है जब तक अपनी बस्ती में पहुंच न जाए या आबादी में पूरे 15 दिन ठहरने की नियत न कर ले । ये ह उस वक्त है जब पूरे तीन दिन की राह (या'नी तक़रीबन 92 किलो मीटर) चल चुका हो, अगर तीन मन्ज़िल (या'नी तक़रीबन 92 किलो मीटर) पहुंचने से पेश्तर (या'नी क़ब्ल) वापसी का इरादा कर लिया तो मुसाफिर न रहा अगर्चे जंगल में हो । (ايضاً ص ١٣٩، دُرِّ مُختار ج ٢ ص ٧٢٨)

सफ़र ना जाइज़ हो तो ?

सफ़र जाइज़ काम के लिये हो या ना जाइज़ काम के लिये बहर हाल मुसाफिर के अह़काम जारी होंगे ।

(عالِمِيَّرِي ج ١ ص ١٣٩)

फरमाने मूस्तफा ﷺ : جس کے پاس میرا جِنْكٌ ہوا اور اُس نے مُعذٰن پر دُرُّد شَرِيفٍ ن پढ़ا اُس نے جِنْجٰا کی (عبدالرزاق)

सेठ और नोकर का इकट्ठा सफर

माहाना या सालाना इजारे वाला नोकर अगर अपने सेठ के साथ सफर करे तो सेठ के ताबेअँ है, फ़रमां बरदार बेटा वालिद के ताबेअँ है और वोह शागिर्द जिस को उस्ताद से खाना मिलता है वोह उस्ताद के ताबेअँ है या'नी जो निय्यत मत्बूअँ (या'नी जिस के मा तहूत है उस) की है वोही ताबेअँ (या'नी मा तहूत) की मानी जाएगी। ताबेअँ (या'नी मा तहूत) को चाहिये कि मत्बूअँ से सुवाल करे, वोह जो जवाब दे उस के ब मूजिब (या'नी मुताबिक़) अ़मल करे। अगर उस ने कुछ भी जवाब न दिया तो देखे कि वोह (या'नी मत्बूअँ) मुक़ीम है या मुसाफिर, अगर मुक़ीम है तो अपने आप को भी मुक़ीम समझे और अगर मुसाफिर है तो मुसाफिर। और येह भी मा'लूम नहीं तो तीन दिन की राह (या'नी तक़ीबन 92 किलो मीटर) का सफर तै करने के बा'द क़सर करे, इस से पहले पूरी पढ़े और अगर सुवाल न कर सका तो वोही हुक्म है कि सुवाल किया और कुछ जवाब न मिला।

(माख्बूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, स. 745, 746)

काम हो गया तो चला जाऊंगा !

मुसाफिर किसी काम के लिये या अहबाब के इन्तज़ार में दो चार रोज़ या तेरह चौदह दिन की निय्यत से ठहरा, या येह इरादा है कि काम हो जाएगा तो चला जाएगा, दोनों सूरतों में अगर आज कल आज कल करते बरसों गुज़र जाएं जब भी मुसाफिर ही है नमाज़ क़सर पढ़े।

(عالِمِ گیری ج ۱ ص ۳۹ وغیره، ایضاً ص ۷۴۷)

फरमाने मुस्तफ़ा : ﷺ : جو مुझ पर रोज़े जुमुआ दुरूद शरीफ़ पढ़ेगा मैं क़ियामत के दिन उस की शफाअत करूँगा । (جع الجواب)

औरत के सफ़र का मस्तला

औरत को बिगैर महरम के तीन दिन (तक़्रीबन 92 किलो मीटर) या ज़ियादा की राह जाना जाइज़ नहीं । ना बालिग़ बच्चे या मा'तूह (या'नी आधे पागल) के साथ भी सफ़र नहीं कर सकती, हमराही में (या'नी साथ) बालिग़ महरम या शोहर का होना ज़रूरी है । (١٤٢ ص ١ ج عالمگیری) औरत, मुराहिक महरम (या'नी बालिग़ होने के क़रीब लड़के) के साथ सफ़र कर सकती है । मुराहिक बालिग़ के हुक्म में है । महरम के लिये ज़रूरी है कि सख़्त फ़ासिक़, बेबाक, गैर मामून (या'नी गैर महफूज़) न हो ।

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 752, 1044, 1045)

औरत का सुसराल और मयका

औरत बियाह कर सुसराल गई और यहीं रहने सहने लगी तो मयका (या'नी औरत के वालिदैन का घर) इस के लिये बत्ने अस्ली न रहा या'नी अगर सुसराल तीन मञ्ज़िल (तक़्रीबन 92 किलो मीटर) पर है, वहां से मयके आई और पन्दरह दिन ठहरने की नियत न की तो क़स पढ़े और अगर मयके रहना नहीं छोड़ा बल्कि सुसराल आरिज़ी तौर पर गई तो मयके आते ही सफ़र ख़त्म हो गया नमाज़ पूरी पढ़े ।

(ऐज़न, स. 751)

अरब ममालिक में वीज़ा पर रहने वालों का मस्तला

आज कल कारोबार वगैरा के लिये कई लोग बाल बच्चों समेत अपने मुल्क से दूसरे मुल्क मुन्तक़िल हो जाते हैं । इन के पास मछ्सूस

फरमाने मुस्तफ़ा : ﷺ : جس کے پاس مेरا جِنْكُ हुवा اُور उस ने मुझ पर दुरुदे पाक न पढ़ा उस ने जनत का रास्ता छोड़ दिया । (طبراني)

मुद्दत का Visa होता है । (म-सलन अरब अमारात में ज़ियादा से ज़ियादा तीन साल का रिहाइशी वीज़ा मिलता है) येह वीज़ा आरिज़ी होता है और मख़्सूस रक़म अदा कर के हर तीन साल के आखिर में इस की तज्दीद (Renew) करवानी पड़ती है । चूंकि वीज़ा महदूद मुद्दत के लिये मिलता है लिहाज़ा बाल बच्चे भी अगर्चे साथ हों इस की अमारात में मुस्तकिल क़ियाम की नियत बेकार है और इस तरह ख़्वाह कोई 100 साल तक यहां रहे अमारात उस का बत्ते अस्ली नहीं हो सकता । येह जब भी सफ़र से लौटेगा और क़ियाम करना चाहे तो इक़ामत की नियत करनी होगी । म-सलन दुबई में रहता है और सुन्नतों की तरबियत के लिये दा'वते इस्लामी के म-दनी क़ाफ़िले में आशिकाने रसूल के साथ तक़ीबन 150 किलो मीटर दूर वाक़ेअ़ अमारात के दारुल ख़िलाफ़ा अबू ज़ह्री का इस ने सुन्नतों भरा सफ़र इख़ियार किया । अब दोबारा दुबई में आ कर अगर इस को मुक़ीम होना है तो 15 दिन या इस से ज़ाइद क़ियाम की नियत करनी होगी वरना मुसाफिर के अहकाम जारी होंगे । हां अगर 'ज़ाहिरे हाल या' नी (Understood) येह है कि अब 15 दिन या इस से ज़ियादा अर्सा येह दुबई में ही गुज़रेगा तो मुक़ीम हो गया । अगर इस का कारोबार ही इस तरह का है कि मुकम्मल 15 दिन रात येह दुबई में नहीं रहता, वक्तन फ़ वक्तन शर-ई सफ़र करता है तो इस तरह अगर्चे बरसों अपने बाल बच्चों के पास दुबई आना जाना रहे येह मुसाफिर ही रहेगा इस को नमाज़ क़स्र करनी होगी । अपने शहर के

फरमाने मुस्तफ़ा : مصلَّى اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ وَسَلَّمَ : मुझ पर दुर्लभ पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ पर दुर्लभ पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीज़गी का बाइस है (ابو بैग)

बाहर दूर दूर तक माल सप्लाय करने वाले और शहर ब शहर, मुल्क ब मुल्क फेरे लगाने वाले और ड्राइवर साहिबान वगैरा इन अहकाम को ज़ेहन में रखें।

ज़ाइरे मदीना के लिये ज़रूरी मस्तिष्क

जिस ने इकामत की नियत की मगर उस की हालत बताती है कि पन्दरह दिन न ठहरेगा तो नियत सहीह नहीं म-सलन हज़ करने गया और ज़ुल हिज्जतिल हराम का महीना शुरूअ़ हो जाने के बा वुजूद पन्दरह दिन मक्कए मुअ़ज्ज़मा زَادَهَا اللَّهُ شَرْفًا وَتَعْظِيْمًا में ठहरने की नियत की तो येह नियत बेकार है कि जब हज़ का इरादा किया है तो (15 दिन इस को मिलेंगे ही नहीं कि 8 ज़ुल हिज्जतिल हराम) मिना शरीफ (और 9 को) अ-रफ़ात शरीफ को ज़रूर जाएगा फिर इतने दिनों तक (या'नी 15 दिन मुसल्सल) मक्कए मुअ़ज्ज़मा زَادَهَا اللَّهُ شَرْفًا وَتَعْظِيْمًا में क्यूंकर ठहर सकता है ! मिना शरीफ से वापस हो कर नियत करे तो सहीह है। (عالِمِيَّ ج ١ ص ١٤٠، دُرُّ مُخْتَار ج ٢ ص ٧٢٩) जब कि वाकेई 15 या ज़ियादा दिन मक्कए मुअ़ज्ज़मा زَادَهَا اللَّهُ شَرْفًا وَتَعْظِيْمًا में ठहर सकता हो, अगर ज़ने ग़ालिब हो कि 15 दिन के अन्दर अन्दर मदीनए मुनव्वरह زَادَهَا اللَّهُ شَرْفًا وَتَعْظِيْمًا या वत्न के लिये रवाना हो जाएगा तो अब भी मुसाफ़िर है।

उमेरे के बीज़ा पर हज़ के लिये रुकना कैसा ?

उमेरे के बीज़ा पर जा कर गैर क़ानूनी तौर पर हज़ के लिये रुकने या दुन्या के किसी भी मुल्क में Visa की मुद्दत पूरी होने के बा'द गैर

फरमाने मुस्तफा ﷺ : جس کے پاس میرا جِنْکَرِ ہو اور وہ مُسْدَد پر دُرُّد شاریف ن پढے تو وہ
لोگوں میں سے کچھ ترین شاہسُر ہے । (مسند احمد)

कानूनी रहने की जिन की नियत हो वोह वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होते वक्त जिस शहर या गाउं में मुक़ीम हों वहां जब तक रहेंगे उन के लिये मुक़ीम ही के अह़काम होंगे अगर्चे बरसों पड़े रहे मुक़ीम ही रहेंगे । अलबत्ता एक बार भी अगर 92 किलो मीटर या इस से ज़ियादा फ़ासिले के सफ़र के द्वारे से उस शहर या गाउं से चले तो अपनी आबादी से बाहर निकलते ही मुसाफिर हो गए और अब उन की इक़ामत की नियत बेकार है । म-सलन कोई शाख़ा पाकिस्तान से उम्रे के Visa पर मक्कए मुकर्रमा زاده الله شرفاً و تعظيمًا गया, Visa की मुद्दत ख़त्म होते वक्त भी मक्का शरीफ ही में मुक़ीम है तो उस पर मुक़ीम के अह़काम हैं । अब अगर म-सलन वहां से मदीनए मुनव्वरह زاده الله شرفاً و تعظيمًا आ गया तो चाहे बरसों गैर कानूनी पड़ा रहे, मगर मुसाफिर ही है, यहां तक कि अगर दोबारा मक्कए मुकर्रमा زاده الله شرفاً و تعظيمًا आ जाए फिर भी मुसाफिर रहेगा, उस को नमाज़ क़स्र ही अदा करनी होगी । हां अगर दोबारा Visa मिल गया तो इक़ामत की नियत की जा सकती है । याद रहे ! जिस क़ानून की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करने पर ज़िल्लत, रिश्वत और झूट वगैरा आफ़ात में पड़ने का अन्देशा हो उस क़ानून की ख़िलाफ़ वर्ज़ी जाइज़ नहीं । चुनान्वे मेरे आक़ा आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَن ف़रमाते हैं : मुबाह (या'नी ऐसा काम जिस के करने में न सवाब हो न गुनाह ऐसी जाइज़) सूरतों में से बा'ज़ (सूरतें) कानूनी तौर पर जुर्म होती हैं उन में मुलव्वस होना (या'नी ऐसे क़ानून की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करना) अपनी ज़ात

फरमाने मुस्तका ﷺ : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है । (طبراني)

को अजिय्यत व ज़िल्लत के लिये पेश करना है और वोह ना जाइज़ है । (फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 17, स. 370) लिहाज़ा बिगैर Visa के दुन्या के किसी मुल्क में रहना या हज़ के लिये रुकना जाइज़ नहीं । गैर क़ानूनी ज़राएँ अ से हज़ के लिये रुकने में काम्याबी हासिल करने को **عَزَّوَجَلٌ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** (مَعَاذَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَ) अल्लाह व रसूल का करम कहना सख्त बेबाकी है ।

क़स्र वाजिब है

मुसाफिर पर वाजिब है कि नमाज़ में क़स्र करे या'नी चार रकअत वाले फ़र्ज़ को दो पढ़े इस के हक़ में दो ही रकअतें पूरी नमाज़ हैं और क़स्दन चार पढ़ीं और दो पर का'दा किया तो फ़र्ज़ अदा हो गए और पिछली दो रकअतें नफ़्ल हो गई मगर गुनाहगार व अ़ज़ाबे नार का ह़क़दार है कि वाजिब तर्क किया लिहाज़ा तौबा करे और दो रकअत पर का'दा न किया तो फ़र्ज़ अदा न हुए और वोह नमाज़ नफ़्ल हो गई, हां अगर तीसरी रकअत का सज्दा करने से पेश्तर इक़ामत की निय्यत कर ली तो फ़र्ज़ बातिल न होंगे मगर क़ियाम व रूकूअ़ का इआदा करना होगा और अगर तीसरी के सज्दे में निय्यत की तो अब फ़र्ज़ जाते रहे यूंही अगर पहली दोनों या एक में किराअत न की नमाज़ फ़ासिद हो गई ।

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 743, ۱۳۹ ص ۱)

क़स्र के बदले चार की निय्यत बांध ली तो.....?

मुसाफिर ने क़स्र के बजाए चार रकअत फ़र्ज़ की निय्यत बांध ली फिर याद आने पर दो पर सलाम फैर दिया तो नमाज़ हो जाएगी । इसी

फरमाने सुन्तप्ता : جو لوگ اپنی مஜलیس سے اُल्लाह کे ज़िक्र और नवी पर दुरूद شریف पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदवूदार मुर्दार से उठे । (شعب الإيمان)

तरह मुक़ीम ने चार रकअत़ फ़र्ज़ की जगह दो रकअत़ फ़र्ज़ की नियत की और चार पर सलाम फैरा तो उस की भी नमाज़ हो गई । फु-कहाए किराम رَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ फ़रमाते हैं : “नियते नमाज़ में रकअतों की ता’दाद मुकर्रर करना ज़रूरी नहीं क्यूं कि येह ज़िम्न हासिल है । नियत में ता’दाद मुअ़्य्यन (या’नी मुकर्रर) करने में ख़ता (या’नी भूल) नुक़सान देह नहीं ।”

(دِرْمُخْتَارِج ۲۰۱ ص)

मुसाफिर इमाम और मुक़ीम मुक़तदी

इक्विटदा दुरुस्त होने के लिये एक शर्त येह भी है कि इमाम का मुक़ीम या मुसाफिर होना मा’लूम हो ख़्वाह नमाज़ शुरूअ़ करते वक्त मा’लूम हुवा या बा’द में, लिहाज़ा इमाम (अगर मुसाफिर हो तो उस) को चाहिये कि शुरूअ़ करते वक्त अपना मुसाफिर होना ज़ाहिर कर दे, और शुरूअ़ में न कहा तो बा’द नमाज़ (या’नी सलाम फैरने के बा’द) कह दे : “मुक़ीम हज़रात अपनी नमाजें पूरी कर लें क्यूं कि मैं मुसाफिर हूँ ।” (دِرْمُخْتَارِج ۲۳۵ ص) और शुरूअ़ में ए’लान कर चुका है जब भी बा’द में कह दे कि जो लोग उस वक्त मौजूद न थे उन्हें भी मा’लूम हो जाए ।

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 749)

मुक़ीम मुक़तदी और बक़िय्या दो रकअतें

क़स वाली नमाज़ में मुसाफिर इमाम के सलाम फैरने के बा’द मुक़ीम मुक़तदी जब अपनी बक़िय्या नमाज़ अदा करे तो फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकअत में सू-रतुल फ़ातिहा पढ़ने के बजाए अन्दाज़न उतनी देर चुप खड़ा रहे । (دِرْمُخْتَارِج ۲۳۵ ص, बहारे शरीअत, जि. 1, स. 748 माखूज़न)

फरमाने मुस्तफा : مَلِكُ الْعَالَمِينَ جَمِيعِ الْجَمَائِعِ
जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे ।

क्या मुसाफिर को सुन्नतें मुआफ़ हैं ?

सुन्नतों में क़सर नहीं बल्कि पूरी पढ़ी जाएंगी, खौफ़ और रवा-रवी (या'नी भागम भाग, घबराहट) की हालत में सुन्नतें मुआफ़ हैं और अम्न की हालत में पढ़ी जाएंगी ।

(عالِمِگیری ج ١ ص ١٣٩)

**“नमाज़” के चौर हुरूफ़ की निस्बत से
चलती गाड़ी में नफ्ल पढ़ने के 4 मैं-दर्दनी फूल**

✿ बैरूने शहर (या'नी शहर के बाहर से मुराद वोह जगह है जहां से मुसाफिर पर क़सर करना वाजिब होता है) सुवारी पर (म-सलन चलती कार, बस, वेगन में) भी नफ्ल पढ़ सकता है और इस सूरत में इस्तिक्बाले किल्ला (या'नी किल्ला रुख़ होना) शर्त नहीं बल्कि सुवारी (या गाड़ी) जिस रुख़ को जा रही हो उधर ही मुंह हो और अगर उधर मुंह न हो तो नमाज़ जाइज़ नहीं और शुरूअ़ करते वक़्त भी किल्ले की तरफ़ मुंह होना शर्त नहीं बल्कि सुवारी (या गाड़ी) जिधर जा रही है उसी तरफ़ मुंह हो और रुकूअ़ व सुजूद इशारे से करे और (ज़रूरी है कि) सज्दे का इशारा व निस्बत रुकूअ़ के पस्त हो । (या'नी रुकूअ़ के लिये जिस क़दर झुका, सज्दे के लिये उस से ज़ियादा झुके) (٥٨٨ ص ٢، بہارے شاریٰۃ، مختار ورَدُّ المُختار ج ٢، ج ١، س. 671) चलती ट्रेन वगैरा ऐसी सुवारी जिस में जगह मिल सकती है उस में किल्ला रुख़ हो कर क़ाइदे के मुताबिक़ नवाफ़िल पढ़ने होंगे ✶ गाड़ में रहने वाला जब गाड़ से बाहर हुवा तो सुवारी (गाड़ी) पर नफ्ल

फरमाने मुस्तफ़ा : مُعْلِمُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَبِرَحْمَةِ رَبِّهِ تَعَالَى تُؤْمِنُ بِكُمْ (ابن عدی) ।

पढ़ सकता है । (٥٨٨ ص ٢١) ❶ बैरूने शहर (या'नी शहर के बाहर) सुवारी पर नमाज़ शुरूअ़ की थी और पढ़ते पढ़ते शहर में दाखिल हो गया तो जब तक घर न पहुंचा सुवारी पर पूरी कर सकता है । (٥٨٩ ص ٢١) ❷ चलती गाड़ी में बिला उङ्गे शर-ई फ़र्ज़ व सुन्नते फ़ज़्र तमाम वाजिबात जैसे वित्र व नन्हे (या'नी मन्त) और वोह नफ़्ल जिस को तोड़ दिया हो और सज्दए तिलावत जब कि आयते सज्दा ज़मीन पर तिलावत की हो अदा नहीं कर सकता और अगर उङ्गे की वजह से हो तो इन सब में शर्त येह है कि अगर मुम्किन हो तो किल्ला रू खड़ा हो कर अदा करे वरना जैसे भी मुम्किन हो और बा'द में नमाज़ का इआदा कर ले । (या'नी दोबारा पढ़ ले) (बहरे शरीअत, जि. 1, स. 673)

मुसाफिर तीसरी रकअत के लिये खड़ा हो जाए तो.....?

अगर मुसाफिर क़स्र वाली नमाज़ की तीसरी रकअत शुरूअ़ कर दे तो इस की दो सूरतें हैं : ❶ ब क़दरे तशह्वुद क़ा'दए अखीरा कर चुका था तो जब तक तीसरी रकअत का सज्दा न किया हो लौट आए और सज्दए सह्व कर के सलाम फैर दे अगर न लौटे और खड़े खड़े सलाम फैर दे तो भी नमाज़ हो जाएगी मगर सुन्नत तर्क हुई । अगर तीसरी रकअत का सज्दा कर लिया तो एक और रकअत मिला कर सज्दए सह्व कर के नमाज़ मुकम्मल करे (इब्तिदाई दो रकअतें फ़र्ज़ और) येह आखिरी दो रकअतें नफ़्ल शुमार होंगी ❷ क़ा'दए अखीरा किये बिगैर खड़ा हो गया था तो जब तक तीसरी रकअत का सज्दा न किया हो लौट आए और

फरमाने मुस्तफ़ा : مَلِكُ اللّٰهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ سَكِّنْمٌ : मुझ पर कसरत से दुरुदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरुदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मस्तिष्कत है। (ابن عساکر)

सज्दए सहव कर के सलाम फैर दे अगर तीसरी रकअत का सज्दा कर लिया फर्ज बातिल हो गए, अब एक और रकअत मिला कर सज्दए सहव कर के नमाज़ मुकम्मल करे चारों रकअतें नफ़्ल शुमार होंगी। (दो रकअत फर्ज अदा करने अभी ज़िम्मे बाकी हैं) (ذِرْ مُخْتَار وَرَدُّ الْمُحْتَار ج ۲ ص ۶۶۷ مَاخوذًا)

सफ़र में क़ज़ा नमाजें

हालते इकामत में होने वाली क़ज़ा नमाजें सफ़र में भी पूरी पढ़नी होंगी और सफ़र में क़ज़ा होने वाली क़स्र वाली नमाजें मुकीम होने के बाद भी क़स्र ही पढ़ी जाएंगी।

ग़मे मदीना, बकीअ,
मस्तिष्कत और बे
हिसाब जन्तुल
फ़िरदौस में आक़ा के
पड़ोस का तालिब



जुमादिल ऊला 1438 सि.हि.
फ़रवरी 2017 ई.

ये हर रिसाला पढ़ कर दूसरे को दे दीजिये

शादी ग़मी की तक़ीबात, इन्जिमाअ़ात, आ'रास और जुलूसे मीलाद वगैरा में मक-त-बतुल मदीना के शाएअ कर्दा रसाइल और म-दनी फूलों पर मुश्तमिल पेम्फ़लेट तक़सीम कर के सवाब कमाइये, गाहकों को बनियते सवाब तोहफ़े में देने के लिये अपनी दुकानों पर भी रसाइल रखने का मा'मूल बनाइये, अख्खार फ़रोशों या बच्चों के ज़रीए अपने महल्ले के घरों में हस्बे तौफ़ीक़ रिसाले या म-दनी फूलों के पेम्फ़लेट हर माह पहुंचा कर नेकी की दा'वत की धूमें मचाइये और खूब सवाब कमाइये।

फरमाने मुस्तफ़ा : مَلِئَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْيَهُ وَهُوَ أَكْبَرُ
जिस ने किताब में मुझ पर दुर्दे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उस
में रहेगा फिरिरते उस के लिये इस्ताफ़ार (या'नी बविधाश की दुआ) करते रहेंगे। (طبراني)

फ़ेहरिस

उन्वान	सफ़हा	उन्वान	सफ़हा
दुरूद शरीफ की फ़ज़ीलत	1	ज़ाइरे मदीना के लिये	
अब तो अम्न है फिर भी क़स्र क्यूँ ?	2	ज़रूरी मस्अला	10
पहले चार नहीं बल्कि		उमेरे के बीज़ा पर	
दो रक्खतें ही फ़र्ज़ की गई	2	हज़ के लिये रुकना कैसा ?	10
शर-ई सफ़र की मसाफ़त (फ़सिला)	3	क़स्र वाजिब है	12
मुसाफिर कब होगा ?	3	क़स्र के बदले चार की नियत	
आबादी ख़त्म होने का मतलब	3	बांध ली तो.....?	12
फ़िनाए शहर की तारीफ़	3	मुसाफिर इमाम और	
मुसाफिर बनने के लिये शर्त	4	मुक़ीम मुक़तदी	13
शर-ई सफ़र की मिक्दार और		मुक़ीम मुक़तदी और	
सिटी सेन्टर	4	बक़िया दो रक्खतें	13
वत्न की क़िस्में	5	क्या मुसाफिर को	
वत्ने इक़मत बातिल होने की सूरतें	6	सुनतें मुआफ़ हैं ?	14
सफ़र के दो रास्ते	6	चलती गाड़ी में नफ़्ल पढ़ने के	
मुसाफिर कब तक मुसाफिर है	6	4 म-दनी फूल	14
सफ़र ना जाइज़ हो तो ?	6	मुसाफिर तीसरी रक्खत के लिये	
सेठ और नोकर का इकट्ठा सफ़र	7	खड़ा हो जाए तो.....?	15
काम हो गया तो चला जाऊँगा !	7	सफ़र में क़ज़ा नमाजें	16
औरत के सफ़र का मस्अला	8	कुरआन भुला देने का अज़ाब	18
औरत का सुसराल और मयका	8	فَلَمَّا نَزَلَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ	18
अ़रब ममालिक में बीज़ा पर		फ़रमाने र-ज़बी	19
रहने वालों का मस्अला	8	मआखिज़ो मराजेअ	19

फ़रमाने مُسْتَفْضًا : مَلِئَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَسْلَمُ : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुर्लभ पढ़े कियामत के दिन मैं उस से मुसा-फ़हा करूँ (यानी हाथ मिलाऊ)। (ابن बश्कو)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الرُّسُلِينَ أَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

कुरआन भुला देने का अज्ञाब

यक़ीनन हिफ़्ज़े कुरआने करीम कारे सवाबे अज़ीम है मगर याद रहे ! हिफ़्ज़ करना आसान मगर ड्रम भर इस को याद रखना दुश्वार है । हुफ़्फ़ाज़ व हाफ़िज़ात को चाहिये कि रोज़ाना कम अज़ कम एक पारह लाज़िमन तिलावत कर लिया करें । जो हुफ़्फ़ाज़ र-मज़ानुल मुबारक की आमद से थोड़ा अर्सा क़ब्ल फ़क़त मुसल्ला सुनाने के लिये मन्ज़िल पक्की करते हैं और इस के इलावा **مَعَاذَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ** सारा साल ग़फ़्लत के सबब कई आयात भुलाए रहते हैं, वोह बार बार पढ़ें और खौफ़े खुदा **عَزَّ وَجَلَّ** से लरज़ें । दा'वते इस्लामी के इशाअती इदारे मक-त-बतुल मदीना की मत्कूआ बहारे शरीअत जिल्द अब्बल सफ़हा 552 पर सदरुशशरीअह, बदरुत्तरीकह, हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَقَرْبَةُ** फ़रमाते हैं : कुरआन पढ़ कर भुला देना गुनाह है । जो कुरआनी आयात याद करने के बा'द भुला देगा बरोज़े कियामत अन्धा उठाया जाएगा । (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 553)

3 फ़रामीने मुस्तफ़ा

﴿1﴾ मेरी उम्मत के सवाब मेरे हुजूर पेश किये गए यहां तक कि मैं ने उन में वोह तिन्का भी पाया जिसे आदमी मस्जिद से निकालता है और मेरी उम्मत के गुनाह मेरे हुजूर पेश किये गए मैं ने इस से बड़ा गुनाह न देखा कि किसी आदमी को कुरआन की एक सूरत या एक आयत याद हो फिर वोह उसे भुला दे । (٢٩٢٥ ح ٤ ص ٤٢٠) ﴿2﴾ जो शख्स कुरआन पढ़े फिर उसे भुला दे तो कियामत के दिन अल्लाह तआला से कोढ़ी हो कर मिले । (ابوداؤد ح ٢ ص ١٠٧) ﴿3﴾ कियामत के दिन मेरी उम्मत को जिस

फरमाने मुस्तफ़ा : بَرَوْجَىٰ كِيَامَت لَوْغُونَ مِنْ سَمَّ مَرِئَةِ كَرِيَبٍ تَرَ وَاهَ هَوَّا جِسَنَ نَهَّى دُنْيَا مَنْ مُسْكَنَهُ عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ (ترمذی) ।

गुनाह का पूरा बदला दिया जाएगा वोह येह है कि उन में से किसी को कुरआने पाक की कोई सूरत याद थी फिर उस ने इसे भुला दिया ।

(جَمْعُ الْجَوَامِعِ لِلسُّلْطَانِيِّ ج ۳ ص ۱۴۵ حديث ۷۸۹)

फरमाने र-ज़की

आ 'ला हृज़रत इमाम अहमद रजा खान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ फरमाते हैं : उस से ज़ियादा नादान कौन है जिसे खुदा ऐसी हिम्मत बख्शे और वोह उसे अपने हाथ से खो दे अगर क़द्र इस (हिफ़ज़े कुरआने पाक) की जानता और जो सवाब और द-रजात इस पर मौज़ूद हैं (या'नी जिन का वा'दा किया गया है) उन से वाक़िफ़ होता तो इसे जानो दिल से ज़ियादा अ़ज़ीज़ (प्यारा) रखता । मज़ीद फरमाते हैं : जहां तक हो सके इस के पढ़ाने और हिफ़ज़ कराने और खुद याद रखने में कोशिश करे ताकि वोह सवाब जो इस पर मौज़ूद (या'नी वा'दा किये गए) हैं हासिल हों और बरोज़े क़ियामत अन्धा कोढ़ी उठने से नजात पाए ।

(फ़तावा र-ज़कीव्या, جि. 23, س. 645, 647)

ماخذ و مراجع

كتاب	كتاب	كتاب	كتاب
مطبوعة	مطبوعة	مطبوعة	مطبوعة
دار الفكر بيروت	ابن عساكر		قرآن مجید
دار الكتب العلمية بيروت	معجم الاجماع	ملحقية المدينة بباب المدحية كراچي	خواں العرفان
سميل اکٹھی مرکز الاول والآہور	غنية	دار الكتب العلمية بيروت	بخارى
دار المعرفة بيروت	درستخوار دلختر	دار ابن حزم بيروت	مسلم
دار الفكر بيروت	عالگیری	دار إحياء التراث العربي بيروت	ابوداؤد
رضاخانہ طبعیش مرکز الاول والآہور	فتاویٰ رضویہ	دار الفکر بيروت	ترمذی
ملحقية المدينة بباب المدحية كراچی	بہار شریعت	دار المعرفة بيروت	ابن ماجہ

يَهُنْ رِسَالَاتٍ يَدْلِيْنَ لَنَّهُنَّ كَبَّلَنَ سَوَابِعَ كَيْمَتٍ سَعَيْتَ سَعَيْتَ لِكَيْسِيْنَ كَوْنَكَوْنَ دَرِيْجَاتٍ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُسْلِمِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

२ सफ़र में भी नमाज़े कैसे करा ज्माअत का जज्बा?

❖ एक बुजुर्ग फ़रमाते हैं : मैंने 40 साल सफ़र में गुज़ारे मगर कोई नमाज़ भी बिगैर जमाअत के अदा नहीं की¹। ❖ इमाम अहमद रज़ा ख़ान عليه رحمۃ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : “मुझे बड़े बड़े सफ़र करने पड़े और يَقْضِلُهُ تَعَالٰى पञ्ज वक्ता (या’नी पांचों टाइम) जमाअत से नमाज़ पढ़ी²।”

لِدِينِ

1. कशफुल महजूब, स. 333

2. ملکूजाते आ’ला हज़रत, स. 75

मुम्बई : 19, 20, मुहम्मद अली रोड, मांडवी पोस्ट ऑफ़िस के सामने, मुम्बई फ़ोन : 022-23454429

देहली : 421, मटिया महल, उर्दू बाज़ार, जामेअ मस्जिद, देहली फ़ोन : 011-23284560

नागपूर : गुरीब नवाज़ मस्जिद के सामने, सैफी नगर रोड, मोमिन पुरा, नागपूर : (M) 9326310099

अजमेर शरीफ़ : 19/216 फ़लाहे दारैन मस्जिद, नाला बाज़ार, स्टेशन रोड, दरगाह, अजमेर फ़ोन : 0145-2629385

हैदरआबाद : पानी की टंकी, मुग़ल पुरा, हैदरआबाद फ़ोन : 040-24572786

हुब्ली : A.J. मुद्राल कोमलेक्ष, A.J. मुद्राल रोड, ओल्ड हुब्ली ब्रीज के पास, हुब्ली, कर्नाटक. फ़ोन : 08363244860

مکتبۃ الدین

दा’वतेِ اسلامی



مکتبۃ الدین

फ़ैज़ाने मदीना, त्री कोनिया बग्रीचे के सामने, मिरज़ापूर, अहमदआबाद-1, गुजरात, इन्डिया
Mo.091 93271 68200 E-mail : maktabaahmedabad@gmail.com www.dawateislami.net